कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), पूर्वी चंपारण
जिला– पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 तक़ के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1136 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14751/124

दिनांक– 14.08.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)

तनवीर हसन 14/08/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1136 / 17- 18
भाग–I
प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण
2.	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम	श्री अनिल कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता
3.	लेखा की अवधि	अक्टूबर 16 से दिसंबर 2017
4.	लेखा परीक्षा की तिथि	17.01.2018 से 23.01.2018
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	श्री अजय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री राजकुमार दास, वरीय लेखापरीक्षक श्री बिजेश्वर कुमार, लेखापरीक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री संजीव कुमार वर्मा, व०ले०प०अ०
7.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	माह अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2017 तक की लेखा अवधि से सम्बंधित लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच की गई	साथ ही कोषागार, पूर्वी चंपारण से सम्बंधित राशि के आहरण एवं जमा का सत्यापन किया गया	
8.	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	उपलब्ध नहीं कराया गया
9.	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया?	हाँ, उठाई गई आपत्तियों पर कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण. पूर्वी चंपारण के साथ 23.01.2018 को विचार विमर्श किया गया	

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरादायी नहीं होगा।

भाग– II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका– 1

योजना सं0	47 F2 /2015–16
योजना का नाम	नगर परिषद मोतिहारी के वार्ड न० 2 में मुख्य पथ से लेकर गुड्डू सिंह के घर होते हुए मनोज तिवारी के घर होते हुए मुख्य नाला तक एवं सड़क से जितेन्द्र जी के घर होते हुए मुख्य नाला तक PCC पथ निर्माण
प्राक्कलित राशि	2705501/–
प्रशासनिक अनुमोदन	2705501/–
संवेदक का नाम	श्री जटाशंकर सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	20.11.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ
एकरारनामा की राशि	2434951/–(BELOW 10%)
मापी भुगतान	2218809/– 2218809/–

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 9.60 लाख)**

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज का क्रय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री की ढुलाई पर रू0 959924 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया धा। अतः रू0 959924 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	210.65 m^3	1724.01/m^3	363163/-
2	स्टोन चिप्स	271.98 m^3	1749.93m^3	475946/-
3	ईट	173866 no.	586.40/1000	101955/-
4	लोकल सेण्ड	91.87 m^3	205.29/ m^3	18860/-
				959924/-

जवाब में बताया गया कि M तथा N प्रपत्र की जगह पर रोयल्टी की कटौती कर ली गई है | जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म M तथा N संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

2. प्राक्कलन तथा मापी पुस्त के मिलान के क्रम में यह पाया गया कि प्राक्कलन से अधिक मात्रा में कार्य किया गया था। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement नहीं बनाया गया था। इसकी विवरण निम्न है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन के अनुसार	मापी पुस्त के अनुसार	अन्तर	दर	राशि (रू0)
1.	P/V Designation 100 A one BES, joints	585.50 M^3	730.15 M^3	144.65 M^3	365.10/ M^3	52812
2	P/V PCC M20	89.20 M^3	111.25 M^3	22.05 M^3	3741.30/M^3	82496
	Total-					135308

जवाब में बताया गया कि Deviation at a site statement अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है |

जवाब मान्य नही है क्योंकि deviation 10 % से अधिक है |

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं. 17 के आइटम सं. 7 एवं पृष्ठ सं. 20 के आइटम सं. 12 के अनुसार आरसीसी एवं पीसीसी M20 कार्य क्रमशः 35.25 m^3 एवं 111.25 m^3 किया गया | इस प्रकार कुल पीसीसी एवं आरसीसी कार्य 146.50 m^3 किया गया जिसके लिये कुल 131.85 m^3 (146.50 X 0.9) गिट्टी की आवश्यकता थी परन्तु मापी पुस्त के पृष्ठ सं. 21 के आइटम स. 14 (iii) के अनुसार कुल 149.62 m^3 गिट्टी का क्रय किया गया | इस प्रकार 17.77 m^3 अधिक गिट्टी का व्यय किया गया एवं इसकी ढुलाई पर रु० 31096 (17.77 m^3 x 1749.93/ m^3) का अधिक व्यय कर रु० 31096 की अदेय सहायता संवेदक को दी गई |

जवाब में बताया गया कि सम्बंधित कनीय अभियंता से उक्त सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर उचित कार्रवाई की जाएगी |

अतः जवाब के आलोक में फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए |

4. लेबर लाइसेंस बिल की वैधता दिनांक 29.09.2014 तक ही थी जबकि निविदा की तारीख 15.06.15 की थी |

जवाब में बताया गया कि लेबर लाइसेंस की वैधता आगे बढ़ाये जाने का प्रपत्र प्राप्त हो चुका है परन्तु दिए गए जबाब के आलोक में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया | अतः जवाब मान्य नहीं है |

5. चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 21.06.14 तक ही थी जबकि निविदा की तारीख़ 15.06.15 की थी

जवाब में बताया गया कि चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता आगे बढाये जाने का प्रपत्र प्राप्त हो चुका है परन्तु दिए गए जवाब के आलोक में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया | अतः जवाब मान्य नहीं है |

कंडिका– 2

योजना सं0	79 F2 /2015–16
योजना का नाम	नगर परिषद् रक्सौल वार्ड स. 15 के प्रखंड परिसर मुख्य गेट से अनुमंडल कार्यालय तक PCC पथ निर्माण
प्राक्कलित राशि	2155917/–
प्रशासनिक अनुमोदन	2155917/–
संवेदक का नाम	श्री नागेन्द्र कुमार
कार्य आरंभ करने की तिथि	22.12.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ
एकरारनामा की राशि	2155917/–
मापी भुगतान	2155917/– 2155917/–

1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 7.20 लाख)

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज का कय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय

स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री की ढुलाई पर रू0 720730/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 720730/- का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालू	84.23 m^3	2092.29/m^3	176234/-
2	स्टोन चिप्स	168.46 m^3	1852.84m^3	312129/-
3	ईट	52403 no.	586.40/1000	30729/-
4	लोकल सेण्ड	29.68 m^3	205.29/ m^3	6093/-
5	SMG - III	87.36 m^3	1828.81/ m^3	159765/-
6	मोरम	21.15 m^3	1691.71/ m^3	35780/-
				720730/-

जवाब में बताया गया कि MN प्रपत्र की जगह पर रोयल्टी की कटौती कर ली गई है।
जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था।

2. मापी पुस्त के पृष्ठ स. 4 के आइटम स. 6(iii) में गिट्टी 168.46 m^3 की ढुलाई की गई जिससे 187.18 m^3 पीसीसी M20 कार्य संभव था परन्तु मापी पुस्त के पृष्ठ स. 4 के अनुसार 197.87 m^3 पीसीसी M20 कार्य किया गया तथा भुगतान भी किया गया अतः 10.69 m^3 अधिक कार्य कर संवेदक को रु० 39994 (10.69 m^3 @3741.30/ m^3) की अदेय सहायता दी गई।
जवाब में बताया गया कि सम्बंधित कनीय अभियंता से उक्त सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
दिए गए जवाब के आलोक में फ़लाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका– 3

योजना सं0	16 F2 /2015–16
योजना का नाम	बलुआ कचहरी पथ से बैल खाने तक पीसीसी पथ निर्माण
प्राक्कलित राशि	2411300/–
प्रशासनिक अनुमोदन	2411300/–
संवेदक का नाम	श्री मनीष कुमार
कार्य आरंभ करने की तिथि	31.08.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ 23.09.15
एकरारनामा की राशि	2291449/–
मापी भुगतान	2291448/– 2218809/–

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 8.46 लाख)**

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज का कय किया जाता है। तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 846460 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 846460 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	99.29 m^3	1724.01/m^3	171177/-
2	स्टोन चिप्स	198.59 m^3	1749.93m^3	347519/-
3	ईट	33000no.	586.40/1000	19351/-
4	लोकल सेण्ड	18.69 m^3	205.29/ m^3	3837/-
5	SMG - III	141.35 m^3	1749.93/ m^3	247353/-
6	मोरम	32.7 m^3	1749.93/ m^3	57223/-
				846460/-

जवाब में बताया गया कि MN प्रपत्र की जगह रोयल्टी की कटौती कर ली गई है |
जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

2. मिट्टी पर स्वामित्व कर की कटौती नहीं :–

उक्त कार्य में 280.37 m^3 मिटटी का उपयोग किया गया था। जिस पर स्वामित्व कर की कटौती नहीं होने के कारण 22X280.37 = 6168 रू0 का संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया। साथ ही सरकारी राजस्व की हानि हुई।

जवाब में बताया गया कि मिटटी पर स्वामित्व कर की कटौती की गई थी परन्तु साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया अतः जवाब मान्य नहीं है |

3. मापी पुस्त के पृष्ठ सं0 11 में गिट्टी 198.59 m^3 की दुलाई की गई जिससे 220.66 m^3 पीसीसी M20कार्य संभव था परन्तु मापी पुस्त के पृष्ठ स .10 के अनुसार 233.64 m^3 पीसीसी M20कार्य किया गया तथा भुगतान भी किया गया अतः 12.98 m^3 अधिक कार्य कर संवेदक को रु० 48562 (12.98 m^3@ 3741.30/ m^3)
अदेय सहायता दी गई |
जवाब में बताया गया की सम्बंधित कनीय अभियंता से वार्तालाप कर उचित कार्रवाई की जाएगी |
दिए गए जवाब के आलोक में फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए|

कंडिका– 4

योजना सं0	9 F2 /2015–16
योजना का नाम	नगर परिषद् रक्सौल के वार्ड न० 5 में डेक्कन अस्पताल से कस्टम कार्यालय तक पीसीसी पथ निर्माण
प्राक्कलित राशि	2407521
प्रशासनिक अनुमोदन	2407521
संवेदक का नाम	श्री शकलदेव मिश्रा
कार्य आरंभ करने की तिथि	31.08.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	10.03.16
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ 27.02.16
एकरारनामा की राशि	2368519
मापी भुगतान	2407521 2407521

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 9.2 लाख)**

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज का क्रय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 919227 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 919227 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	104.05 m^3	2092.29/m^3	217703/-
2	स्टोन चिप्स	208.10 m^3	1852.84m^3	385576/-
3	ईट	33000no.	586.40/1000	18085/-
4	लोकल सेण्ड	17.45 m^3	205.29/ m^3	3582/-
5	SMG. - III	133.10 m^3	1828.81/ m^3	239757/-
6	मोरम	32.23 m^3	1691.71/ m^3	54524/-
				919227/-

जवाब में बताया गया कि MN की जगह रोयल्टी की कटौती कर ली गई है |

जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

2. मापी पुस्त के पृष्ठ सं. 9 में गिट्टी 208.10m^3 की ढुलाई की गई थी जिससे 231.22 m^3 पीसीसी कार्य संभव था परन्तु मापी पुस्त के पृष्ठ सं. 10 के अनुसार M20 247.8 m^3 कार्य किया गया अतः 16.66m^3 अधिक कार्य कर संवेदक को रु०62330 (16.66 m^3/3741.30 @ m^3) अदेय सहायता दी गई |

जवाब में बताया गया की सम्बंधित कनीय अभियंता से वार्तालाप कर उचित कार्रवाई की जाएगी | अतः जवाब के आलोक में फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए |

कंडिका– 5

योजना सं0	31 F2 /2015–16
योजना का नाम	नगर परिषद् वार्ड न० 16 में PWD मठिया तुरहा पट्टी से पारस साह मुखिया के घर होते हुए सरोजनी कन्या विधालय होते चिरं मशीन के पास पुराने पीसीसी तक पीसीसी पथ निर्माण
प्राक्कलित राशि	3396139/–
प्रशासनिक अनुमोदन	3396139/–
संवेदक का नाम	श्री संपूर्णानंद
कार्य आरंभ करने की तिथि	31.08.15, 6 माह
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	8.3.16
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ 26.02.16
एकरारनामा की राशि	3391139
मापी भुगतान	3391139/– 3391139/–

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 12.38 लाख)**

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज का क्रय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री की ढुलाई पर रू0 1237856 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1237856 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	144.43 m^3	1724.01/m^3	249288/-
2	स्टोन चिप्स	288.86 m^3	1749.93m^3	505485/-
3	ईट	56999no.	586.40/1000	33425/-
4	लोकल सेण्ड	32.29 m^3	205.29/ m^3	6624/-
5	SMG - III	205.60 m^3	1749.93/ m^3	359786/-
6	मोरम	47.57 m^3	1749.93/ m^3	83244/-
				1237856/-

जवाब में बताया गया कि MN प्रपत्र की जगह पर रोयल्टी की कटौती कर ली गई है |
जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

2. मिट्टी पर स्वामित्व कर की कटौती नहीं :–

उक्त कार्य मे 356.83 m^3 मिटटी का उपयोग किया गया था। जिस पर स्वामित्व कर की कटौती नहीं होने के कारण 22X 356.89 = 7852 रू0 का संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया। साथ ही सरकारी राजस्व की हानि हुई।

जवाब में बताया गया कि मिटटी पर स्वामित्व कर की कटौती कर ली गई है |
जवाब के आलोक में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया अतः जवाब मान्य नहीं है |

3 मापी पुस्त के पृष्ठ सं. 14 में गिट्टी 288.86 m^3 की ढुलाई की गई जिससे 320.96 m^3 पीसीसी M20 कार्य संभव था परन्तु मापी पुस्त के पृष्ठ सं. 14 के अनुसार 339.84 m^3 पीसीसी M20 कार्य किया गया तथा भुगतान भी किया गया अतः 18.88 m^3 अधिक कार्य कर संवेदक को रु० 70637(18.88 m^3@ 3741.30/ m^3) अदेय सहायता दी गई |
जवाब में बताया गया कि सम्बंधित कनीय अभियंता से वार्तालाप कर उचित कार्रवाई की जाएगी|
दिए गए जवाब के आलोक में फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए |

कंडिका :- 6

योजना सं0	01 F2 /2015–16
योजना का नाम	सुगौली अंतर्गत सद्भावना पथ से कपील साह के घर से चिक पट्टी तक ब्रिक सोलिंग कार्य
प्राक्कलित राशि	589756
प्रशासनिक अनुमोदन	589756
संवेदक का नाम	श्री सानु कुमार पटेल
कार्य आरंभ करने की तिथि	23.05.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	23.08.15
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ 10.08.15
एकरारनामा की राशि	530780
मापी भुगतान	506243/– 506243/–

1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 0.54 लाख)

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के

अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 54230 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 54230 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	4.60 m^3	1829.21/m^3	8414/-
2	स्टोन चिप्स	4.94 m^3	2094.28 m^3	10346/-
3	ईट	37327 no.	586.40/1000	21888/-
4	लोकल सेण्ड	66.16 m^3	205.29/ m^3	13582/-
				54230/-

जवाब में बताया गया कि MN प्रपत्र की जगह पर रोयल्टी की कटौती कर ली गई है। जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था।

2. प्राक्कलन तथा मापी पुस्त के मिलान क्रम में यह पाया गया कि प्राक्कलन से अधिक मात्रा में कार्य किया गया था। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement नहीं बनाया गया था। इसकी विवरण निम्न है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन के अनुसार	मापी पुस्त के अनुसार	अन्तर	छर	राशि (रू0)
1	BRICK WORK 1:4	3.52 M^3	5.42 M^3	1.90 M^3	4184/ M^3	7950/-
2	CP 1:4	25.55 M^3	45.34 M^3	19.79 M^3	128.20/M^3	2537/-
3	RCC M20	2.65 M^3	4.54 M^3	1.89 M^3	3881.20/M^3	7335/-
4	ROD	234 kg	314.65 kg	80.65 kg	73.10/kg	5896/-
	Total-					23718/-

जवाब में बताया गया की Deviation at a site statement अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिया गया है।

Deviation 10% से अधिक है अतः जवाब मान्य नहीं है।

कंडिका– 7

योजना सं0	54 F2 /2015–16
योजना का नाम	नगर पंचायत टोला के पटेल नगर शिवशंकर ठाकुर के घर से सुमन पटेल के घर होते हुए प्रेम शर्मा के घर तक पीसीसी एवं नाला निर्माण
प्राक्कलित राशि	1052912
प्रशासनिक अनुमोदन	1052912
संवेदक का नाम	श्री तुफैल अहमद
कार्य आरंभ करने की तिथि	22.12.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	21.03.16
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ 15.01.16
एकरारनामा की राशि	1012912
मापी भुगतान	1035121 1035121

1. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 2.03 लाख)**

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज क्रय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 202621 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अत: रू0 202621 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	40.37 m^3	1829.21/m^3	73853/-
2	स्टोन चिप्स	49.18 m^3	2098.33m^3	103194/-
3	ईट	37928no.	586.40/1000	22241/-
4	लोकल सेण्ड	16.23 m^3	205.29/ m^3	3333-
				202621/-

जवाब में बताया गया की MN प्रपत्र की जगह पर रोयल्टी की कटौती कर ली गई है।

जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

कंडिका स. :- 8

योजना सं0	83 F2 /2015–16
योजना का नाम	वार्ड नं. 21 में पी.डब्लू रोड से तपस्या पटेल के घर होते हुए हरिवंश ठाकुर के घर तक नाला एवं पी.सी.सी.
प्राक्कलित राशि	1904172/–
प्रशासनिक अनुमोदन	1904172/–
संवेदक का नाम	श्री दिनेश्वर प्रसाद वर्मा
कार्य आरंभ करने की तिथि	28.03.16
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	27.09.16
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ 26.09.16
एकरारनामा की राशि	1713755/– (BELOW 6.76 %)
मापी भुगतान	1775450/– 1775450/–

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 0.42 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003– 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत कियागया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मॉग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15%कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, पूर्वी चंपारण द्वारा 6.76 % below पर एकरारनामा की राशि रू0 1713755/– से कटौती करनी थी परन्तु डूडा द्वारा रू0 40559 का (1904172 X 2.13%) कटौती नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 40559/– का अदेय सहायता दिया गया था।

जवाब में बताया गया कि APG की राशि जमा कर दी गई है

जवाब के आलोक में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया अतः जवाब मान्य नहीं है |

2. <u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 6.15 लाख)</u>

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 614880 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 614880 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	सोन बालू	92.78 m^3	1724.01/m^3	159954/-
2	स्टोन चिप्स	150.98 m^3	1749.93m^3	264204/-
3	ईट	27050no.	586.40/1000	15862/-
4	लोकल सेण्ड	8.9 m^3	205.29/ m^3	1827/-
5	SMG - III	79.76 m^3	1749.93/ m^3	139574/-
6	मोरम	19.12 m^3	1749.93/ m^3	33459/-
				614880/-

जवाब में बताया गया की MN प्रपत्र की जगह पर रोयल्टी की कटौती कर ली गई है |
जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

3. मापी पुस्त के पृष्ठ स. 9, 10 एवं 11 पर दर्ज आइटम स. 4, 5, 6, 7 एवं 10 पर कार्य हेतु आवश्यक सीमेंट एवं गिट्टी की मात्रा निम्न है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	आवश्यक सीमेंट की मात्रा	आवश्यक गिट्टी की मात्रा
1	P/V AND LAYING IN POSITION CEMENT CONCRETE M15	9.91 M^3	2.1928 MT	9.3154 M^3
2	BRICK WORK	48.38 M^3	5.466 MT	----------
3	P/V CEMENT PLASTER	233.78 M^3	1.20 MT	----------
4	P/V RCC	35.40 M^3	11.2497 MT	31.86 M^3
5	PCC M20	131.851 M^3	41.90 MT	118.665 M^3
	Total-		62 MT	159.84 M^3

उपरोक्त कार्यो में कुल सीमेंट की आवश्यकता 62 MT की थी जबकि 75.95 MT का दुलाई एवं अतिरिक्त मूल्य लिया गया अतः अतिरिक्त 13.95 MT का दुलाई पर अतिरिक्त व्यय किया गया जिसके कारण संवेदक को ढुलाई मद में रु० 3730 (13.95*267.44) एवं मूल्य वृधि मद में रु० 14050 (13.95*1007.18) अर्थात कुल रु० 17780 का अदेय सहायता दिया गया | उपरोक्त वर्णित कार्य में आवश्यक बिट्टी की मात्रा 159.84 M^3 था जबकि मापी पुस्त के पृष्ठ स. 12 पर दर्ज कुल गिट्टी की मात्रा 150.98 M^3 था जिससे की पीसीसी M20 कार्य में 8.85 M^3 (159.84-150.98) गिट्टी की कमी के कारण 9.84 M^3 कम पीसीसी कार्य अर्थात सिर्फ 122 M^3 पीसीसी संभव था | 9.84 M^3 पीसीसी M20 कार्य मूल्य रु० 36814 (9.84*3741.3) का अदेय सहायता संवेदक को दिया गया |

जवाब में बताया गया की सम्बंधित तकनीकी कर्मी से कारण की पृच्छा की जाएगी |

जवाब के आलोक में फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए |

कंडिका– 9 परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना रू. 8.35 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमान्य नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), पूर्वी चंपारण के अभिलेखों तथा रोकड़वही के जॉच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बी.ओ.क्यू. के लिए संधारित UBI, Motihari के खाता संख्या 572302010006069, में जमा किया गया था। यह पाया गया कि खाते में दिनांक 31.12.2017 तक रू. 835500/– जमा थी। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की

गई। इस प्रकार सरकारी धन को कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया। इन राशियों को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 18) तक नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि सरकार द्वारा शीर्ष निर्धारित कर दी गई है राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। दिए गए जवाब के अलोक में साक्ष्य महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

कंडिका– 10

योजना सं0	46 F2 /2015–16
योजना का नाम	**नाला निर्माण एवं पांच अदद पुलिया निर्माण**
प्राक्कलित राशि	3776562
प्रशासनिक अनुमोदन	3596799
संवेदक का नाम	**श्री जटाशंकर सिंह**
कार्य आरंभ करने की तिथि	31.08.15
कार्य पूर्ण होने की तिथि कार्य पूर्ण हुआ	29.02.16
कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण हुआ
एकरारनामा की राशि	3237119/–
मापी भुगतान	3236830/– 3236830/–

1. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 4.94 लाख)

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज का कय किया जाता है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N मे दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 494180 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 494180 का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालू	104.57 m^3	1350.87/m^3	141260/-
2	स्टोन चिप्स	206.72 m^3	1620 m^3	334886/-
3	ईट	15458 no.	586.40/1000	9065/-
4	लोकल सेण्ड	43.69 m^3	205.29/ m^3	8969/-
				494180/-

जवाब में बताया गया की MN की जगह रोयल्टी की कटौती कर ली गई है |

जवाब अमान्य है क्योंकि फॉर्म MN संवेदक से नहीं लिए जाने की स्थिति में स्वामित्व कर की दुगुनी राशि शास्ति के रूप संवेदक के भुगतान से कटौती करने का प्रावधान है तथा उक्त राशि को पंद्रह दिनों के अन्दर खनन कार्यालय में जमा करना था |

2. मापी पुस्त के पृष्ट स.14 के आइटम स. 4 पर दर्ज कुल आरसीसी कार्य 243.20 m^3 दर्ज था अतः मापी पुस्त के पृष्ट स.16 पर दर्ज गिट्टी की मात्रा 206.72 m^3 थी जिससे आरसीसी (1:1.5:3) 238.15 m^3 संभव है अधिक आरसीसी कार्य 5.05 m^3 किया गया था तथा भुगतान भी किया गया था | विवरणी निम्न है :-

a. RCC work excluding centring – RS 19600 (5.05*3881.2)

b. Reinforcement for RCC work – 5.05 m^3 i.e 178.32 CFT@2.25 kg/CFT
= 401.22 kg@73:10/kg
= RS 29329

अतः कुल अधिक भुगतान रु० 48929 (19600+29329) कर संवेदक को अदेय सहायता पहुचाई गई |

जवाब में बताया गया कि सम्बंधित कनीय अभियंता से कारण पृच्छा की जाएगी |
अतः जवाब के आलोक में फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाए |

कंडिका– 11

श्रम सेस तथा रायल्टी की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं रू. 2.89 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), **पूर्वी चंपारण** के अभिलेखों तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी की जॉच में यह पाया गया कि दिनांक 31.12.2017 तक विभिन्न योजनाओं से श्रम कर तथा रॉयल्टी के रूप में कुल 289314 (श्रम सेस रू. 41723.00, VAT 222297.00 तथा रॉयल्टी रू. 25294) की कटौती की गई है,

लेकिन उक्त राशि को उपयुक्त शीर्ष में जमा नहीं किया गया। इस संबंध में आपत्ति किए जाने पर **जवाब** में बताया **गया की सभी राशि यथाशीघ्र सरकार के सम्बंधित शीर्ष में जमा कर दी जाएगी | जवाब के अलोक में साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए |**

कंडिका– 12

अग्रिम का समायोजन नहीं रू. 2.3 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण के द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अनुसार निम्न कनीय अभियंता पर कुल बकाया अग्रिम 230000/- है जिसमे से श्री राजन कुमार श्रीवास्तव, कनीय अभियंता के द्वारा रु० 151/- का समायोजन कराया गया था तदोपरांत लंबित अग्रिम 229849/- थी | इसका अभी तक न तो समायोजने किया गया और न ही वसूली की गई इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है की श्री राजन कुमार श्रीवास्तव तथा राजेश कुमार, कनीय अभियंता सेवा से विमुक्त हो चुके है | अतः लंबित अग्रिम का समायोजन किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सका, यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि यथाशीघ्र समायोजन कर लिया जाएगा |

जवाब के आलोक में साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए |

कंडिका– 13

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की अपूर्ण योजना पर निष्फल व्यय

माह दिसंबर 2017 के योजना विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि एक योजना अभी तक अपूर्ण थी। इस योजना पर कुल राशि रू0 57.40 लाख व्यय हो चुका था। योजना वर्ष 2014–15 की है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है जिसके कारण योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई एवं इससे जनता लाभान्वित नहीं हो सकी।

(राशि लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	योजना सं./नाम	प्राक्कलित राशि/एकरारनामा की राशि	व्यय की गयी राशि	अभ्युक्ति
1	31/14–15	नगर परिषद् मोतिहारी के मोती झील के ऊपर निर्मित क्रोसिंग रोड का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण	15217500	5740750	अपूर्ण
			कुल योग	5740750	

जवाब में बताया गया की इस कार्य में मोती झील पर निर्मित स्टील ब्रिज के दोनों तरफ पहुँच पथ की चौराई 20-20 फिट बढ़ा कर उस पर सौन्दरिकरण का कार्य जैसे plantation, lighting तथा siting बेंचं अदि का कार्य कराया जाने था | चौड़ीकरण करने के क्रम में स्टील ब्रिज धसने की वजह से ब्रिज का पुनर्निर्माण होना है जो की पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है जिसमे devertion में पहुँच पथ का कुछ भाग आ सकता है इसलिए चौड़ीकरण का कार्य रोक दिया गया |

अतः उक्त कार्य के अवरोध ख़त्म होने के पश्चात् योजना को पूर्ण किया जाए |

कंडिका– 14

लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्वी चंपारण के अक्टूबर 16 से दिसंबर 17 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/अभिलेखों को लेखा परीक्षा दल द्वारा लिखित एवं मौखिक मांग के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गयाः–

1. संचालन समिति द्वारा योजनाओं के चयन से संबंधित संचिका एवं प्राथमिकता सूची
2. सभी योजना पंजियाँ एवं व्यय अभिश्रव
3. अनुदान पंजियाँ व अनुदान विनियोग पंजी
4. बजट
5. सेवा पुस्तिका का व्यक्तिगत संचिका
6. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल से संबंधित संचिका
7. विस्तृत जाँच हेतु माह अगस्त 2017 का वाउचर
8. स्थायी/अस्थायी अग्रिम बही एवं समायोजन
9. आर.टी.आई./शिकायत से संबंधित संचिका/अभिलेख

जवाब में बताया गया कि :-

1. जिला पदाधिकारी एवं माननीय विधायक तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालन किया गया था |
2. सभी अभिश्रव योजना संचिका में संलग्न है |
3. जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाता है |
4. सरकार से सीधी राशि प्राप्त नहीं होती है |
5. कोई स्थाई कर्मी नहीं है |
6. स्थाई कर्मी नही है |
7. प्रस्तुत कर दिया गया है |
8. समायोजन यथाशीघ्र कर लिया जाएगा |
9. कोई शिकायत प्राप्त नहीं है |

अतः असंधारित अभिलेखों को संधारित कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।